राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3903/2016

चैनाराम चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी का वेतन उन्नयन आदेश दिनांक 22.02.2001 के द्वारा किया गया था, जिसके दिनांक 01.04.1998 से 8300/– के स्थान पर 8900/– किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हुआ। सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 20.09.2012 (अनुलग्नक–4) के आदेश से यह माना कि अपीलार्थी के संबंध में जो पूर्व में वेतन उन्नयन किया गया था, वह गलत आधार पर किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी का वेतन उन्नयन मधु गुप्ता से वरिष्ठ होने के आधार पर किया गया था और परिक्षण करने पर पाया गया कि अपीलार्थी श्रीमति मधु गुप्ता से वरिष्ठ न होकर कनिष्ठ थे। इस आधार पर अपीलार्थी का वेतन उन्नयन निरस्त कर दिनांक 01.04.1998 से वेतन 8300/– माना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 20.09.2012 गलत रूप से एवं विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी के सेवानिवृत होने के पश्चात बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी के वेतन उन्नयन का आदेश वापस लिया जाना उचित नहीं था। सेवानिवृति के पश्चात अपीलार्थी के वेतन में संशोधन नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 का हवाला दिया है, जिसमें कार्मिक की सेवानिवृति होने के पश्चात उससे वसूली किया जाना उचित नहीं माना है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में आदेश दिनांक 22–2–2001 के द्वारा अपीलार्थी को श्रीमती मधु गुप्ता से वरिष्ठ मानते हुए वेतन उन्नयन किया गया था, लेकिन जैसा कि गृह (ग्रुप–10) विभाग की आज्ञा दिनांक 28–12–1976 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री चैनाराम

चौधरी का नियुक्ति आदेश में क्रम संख्या–24 पर नाम अंकित है व सुश्री मधु गुप्ता का नियुक्ति आदेश में क्रम संख्या–20 में नाम अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी सुश्री मधु गुप्ता से कनिष्ठ ही है, अतः आदेश दिनांक 20–9–2012 के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 22–2–2001 को निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 22–2–2001 की पालना में अधिक भुगतान की गई राशि की आदेश दिनांक 20–9–2012 की पालना में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हो चुका था। इसके पश्चात अपीलार्थी का वेतन संशोधन करने का आदेश दिनांक 20.09.2012 पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 04.01.2017 पारित करते हुए आदेश दिनांक 20.09.2012 के अन्तर्गत राशि की वसूली अपीलार्थी से नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट होता है कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति के पश्चात वसूली की कार्यवाही की गयी है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सेवानिवृति के पश्चात वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में न्यायालय ने माना है कि सेवानिवृत कर्मचारियों से वसूली किया जाना उचित नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को उच्च वेतन दिये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी। न्यायिक दृष्टांत (1994)2 एससीसी 551, श्यामबाबू वर्मा बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि जहां याची की गलती नहीं रही हो तो ऐसे में याची को उच्च वेतन का लाभ दिये जाने के बाद वसुली नहीं की जा सकती।

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 20.09.2012 की पालना में अपीलार्थी से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सेवानिवृत हो चुका है और ऐसे में अपीलार्थी को जो पेंशन का लाभ दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में यदि कोई संशोधन आदेश पारित किया जाता है तो उससे पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)